

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-96 / राजस्व / राहत / 2013 / ५। रायपुर, दिनांक १९/०२/२०१४
प्रति,

डॉ० अजय कुमार प्रदयोद,
प्रभारी सचिव, मिसिंग सेल,
उत्तराखण्ड सचिवालय,
४-सुभाष मार्ग देहरादून
फैक्स नं० ०१३५-२७१२०९२

विषय:—उत्तराखण्ड राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा में छत्तीसगढ़ राज्य के लापता तीर्थ यात्रियों के मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन बाबत्।

- संदर्भ :-** 1. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र क्रमांक 1078 (10) /xxviii-2/4 (299)/ 02 दिनांक 19.11.2013
2. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र क्रमांक 1078 (41) /xxviii-2/4 (299)/ 02 दिनांक 21.01.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र क्रमांक-1 जिसके माध्यम से आपके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा में छत्तीसगढ़ राज्य के लापता 29 व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों के लिये मृत्यु प्रमाणपत्र, माननीय मुख्यमंत्रीजी का संदेश तथा रूपये 63.00 लाख सहायता राशि का बैंक ड्राफ्ट भेजा गया है। इसी तरह पत्र क्रमांक-2 के माध्यम से आपके द्वारा 4 व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, माननीय मुख्यमंत्रीजी का संदेश तथा रूपये 14.00 लाख सहायता राशि का बैंक ड्राफ्ट भेजा गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य को अभी तक राज्य के लापता 29 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 22 व्यक्तियों के लिये उपरोक्त दस्तावेज तथा सहायता राशि 77.00 लाख रूपये प्राप्त हुई है।

2. उक्त दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेजों में निम्नांकित त्रुटियाँ हैं :—

- (1) आपके संदर्भित पत्र क्रमांक-1 (छायाप्रति परिशिष्ट —“एक” में संलग्न) के साथ संलग्न सूची के सरल क्र० १ मृत्यु पंजीकरण संख्या ५० श्रीमती ज्योति अग्रवाल, पति श्री प्रभात अग्रवाल, एवं सरल क्र० ६ मृत्यु पंजीकरण संख्या ५५ श्री प्रभात अग्रवाल पिता स्व० श्री मोहनलाल अग्रवाल को पता “भिलाई दुर्ग” लिखा है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। उक्त दोनों पति-पत्नि हैं। उनका वास्तविक पता “कैलास गली दुरी हटरी, सरस्वती स्कूल के सामने गली, पुरानी बस्ती रायपुर, जिला रायपुर, छ०ग०” है। इस विभाग द्वारा विभागीय पत्र क्रमांक ६१/नि.स./स.रा./२०१३ दिनांक १४.८.२०१३(छायाप्रति परिशिष्ट—‘दो’ में संलग्न) के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को राज्य के लापता 29 व्यक्तियों की जो सूची भेजी गई थी, उसमें उक्त दोनों लापता व्यक्तियों का पता “कैलास गली दुरी हटरी, सरस्वती स्कूल के सामने गली पुरानी बस्ती रायपुर जिला रायपुर छ०ग०” लिखा गया है। मृत्यु प्रमाणपत्र में गलत पता अंकित होने से उनके संबंधित विभिन्न दावों के भुगतान में कठिनाई होगी, अतः उनके

—2—

वारिसान श्री प्रतीक अग्रवाल द्वारा सही पता के साथ मृत्यु प्रमाण—पत्र जारी करने की मांग की गई है, आवेदन पत्र सहपत्रों सहित (परिशिष्ट — "तीन")। उक्त दोनों मृतकों का मृत्यु प्रमाण—पत्र मूलतः इस पत्र के साथ संलग्न कर (परिशिष्ट — "चार") आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया गलत पते पर जारी संलग्न दोनों प्रमाणपत्रों को निरस्त कर ऊपर दर्शित सही पते पर उक्त दोनों मृतकों के लिए दूसरा प्रमाणपत्र जारी करने तथा इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

(2) आपके संदर्भित पत्र क्रमांक-1 के साथ संलग्न सूची के सरल क्र. 14 मृत्यु पंजीकरण संख्या 63 में श्री देवेन्द्र कुमार परोहा पिता श्री शंकरलाल परोहा पता रायपुर छत्तीसगढ़ के लिये मृत्यु प्रमाणपत्र तथा सहायता राशि प्राप्त हुई है। आपके पूर्व पत्र क्र. 83/CS/DMS/2013, दिनांक 16.09.2013 (छायाप्रति परिशिष्ट — "पॉच" में संलग्न) में आपके द्वारा राज्य के 28 प्रभावित लोगों की सूची में से 2 व्यक्तियों का नाम मध्यप्रदेश राज्य की सूची में होने के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की सूची से विलोपित कर दिया गया है, जिसमें श्री देवेन्द्र कुमार परोहा का नाम भी विलोपित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सूची से विलोपित हो जाने के कारण मृतक श्री देवेन्द्र कुमार परोहा के लिये देय सहायता राशि तथा मृत्यु प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य को भेजा जाना था, लेकिन ऐसा न कर छत्तीसगढ़ राज्य को भेज दिया गया है। चूंकि आपके पत्र दिनांक 16.09.2013 के द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम राज्य की सूची से विलोपित कर दिया गया है। अतः उक्त व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सहायता राशि का भुगतान उनके वारिस को किया जाना अभी लंबित रखा गया है। आपसे अनुरोध है, कि कृपया सूचित करे, कि मृतक श्री देवेन्द्र कुमार परोहा का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सहायता राशि रु. 3.50 लाख आपको वापिस की जावे या मध्यप्रदेश राज्य को भेजा जावे या उनके वारिसों को बांटा जावें। आपसे निर्देश प्राप्त होने के बाद ही उक्त मृतक श्री देवेन्द्र कुमार परोहा के लिए प्राप्त सहायता राशि के बारे में उचित निर्णय लिया जावेगा।

(3) राज्य के कुल लापता व्यक्तियों की संख्या 29 है। सूची परिशिष्ट—'दो' में संलग्न है उक्त 29 लापता व्यक्तियों से आपके पत्र दिनांक 16.9.2013 (परिशिष्ट—'पॉच') के माध्यम से 2 लोगों का नाम राज्य की सूची से विलोपित किया गया है। इस तरह राज्य के वास्तविक लापता व्यक्तियों की संख्या 27 बचती है। उक्त 27 व्यक्तियों में से उपर कंडिका 2(2) के मामले को छोड़कर केवल 21 व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण—पत्र तथा सहायता राशि प्राप्त हुई है तथा 6 व्यक्तियों के लिए सहायता राशि प्राप्त होना अभी भी शेष है। जिन 6 व्यक्तियों के नाम से सहायता राशि एवं दस्तावेज प्राप्त होना अभी भी शेष है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	लापता व्यक्ति का नाम	पता
1	श्रीमती आशा देवी राजपूत पति स्व. चन्द्रपाल सिंह ठाकुर राजपूत, उम्र 56 वर्ष,	निवासी मलसाय तालाब के पास गोपियापारा पुरानी बस्ती रायपुर
2	श्रीमती सावित्री केशरवानी, श्री काशी प्रसाद केशरवानी, उम्र 52 वर्ष,	वार्ड क्रमांक 19 काली मंदिर रोड बस स्टैण्ड के पास मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया

—3—

3	श्रीमती प्रेमलता नेवर, पति श्री गिरीश चंद्र नेवर उम्र 59 वर्ष	मंझाली तालाब के पास चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
4	श्री गिरीश चंद्र नेवर पिता स्व0 श्री मालचंद्र नेवर उम्र 64 वर्ष	मंझाली तालाब के पास चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0)
5	अमन चौधरी, पिता श्री राम प्रसाद चौधरी, उम्र 18 वर्ष,	ग्रा.पो.था. तपकरा, तहसील फरसाबहार जिला जशपुर
6	श्री रामस्वरूप दास	ग्रा. धनोली था. गौरेला, तहसील पेंड्रारोड जिला बिलासपुर

3. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त कंडिका-2(1) में दर्शाये गये बिन्दुओं पर उचित कार्यवाही कर संशोधित मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने तथा कंडिका 2(2) में दर्शित श्री देवेन्द्र कुमार परोहा के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उचित निर्देश भेजने तथा कंडिका 2(3) में दर्शित शेष 6 व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा सहायता राशि भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :— 1. आपका पत्र दिनांक 19.11.2013

2. मृत्यु प्रमाण पत्र दो प्रति
3. आपका पत्र दिनांक 16.09.2013
4. आवेदक सहपत्रों सहित
5. इस विभाग का पत्र दिनांक 14.08.2013

(के0आर0 पिस्डा)
सचिव 18/2/2014
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग